न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

वाद संख्या–100 / 2025
वाद प्रविष्टि दिनांक–26.06.2025
निर्णय दिनांक–04.12.2025

1. रामनारायण पुत्र जैसा जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. गीता पुत्री जैसा जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. ज्योति पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. अन्तिमा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. नेहा पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. प्रियंका पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. मोना पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. सोना पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. राहूल पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. रतनी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. गोपाल पुत्र लछमना जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. मदन पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. रामकिशोर पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
12. रामधन पुत्र पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
13. सोदरा पुत्री पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
14. हंसा पुत्री पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
15. सुजा पत्नि पन्नालाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
16. हरिनारायण पुत्र गोविन्दा जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
17. मोरी पत्नि गोविन्दा जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
18. तहसीलदार पीपलू
19. बैंक ऑफ बडौदा शाखा पीपलू जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री भरत गुर्जर एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्य 01 लगायत 17–श्री राजाराम चौधरी एड0
श्री नरेन्द्र प्रसाद गुर्जर एड0, श्री बंशीलाल सैनी एड0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

उपखण्ड अधिकारी पीपलू, जिला टोंक

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात

अन्तर्गत धारा 53 राज.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजी ख0न0 255 रकबा 1.3657 हैक्ट. व ख0न0 399 रकबा 0.5817 हैक्ट. वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा, तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसका उनके बीच विधिवत् विभाजन नही हो रखा है, किन्तु पक्षकारान् अपने हिस्से अनुसार मौके पर बंटवारा कर अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/3 हिस्सा है। जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 17 अपने दर्ज हिस्से अनुसार काबिज होकर मौके पर करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। जिसका विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। किन्तु मौके पर वर्षो से पक्षकार अपनी भूमि बंटवारा करके काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन विधिवत् विभाजन नही होने के कारण पक्षकारान् में आये दिन मेर, कोर आदि को लेकर विवाद होता रहता है। प्रतिवादीगण दादागिरी के बल पर आये वादीगण को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है। इस कारण वादीगण का अपने हिस्से की भूमि का विधिवत् विभाजन कराकर अपनी पृथक जमाबंदी तैयार करवाना आवश्यक हो गया है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा फरमायी जाकर वाद के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी में दर्ज हिस्से 1/3 का मौके पर कब्जे अनुसार उक्त आराजीयात का विधिवत् विभाजन कराया जावे एवं उसके हिस्से की आराजी का नक्शा शीट में तरमीम करवायी जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 की ओर से अधिवक्ता श्री राजाराम चौधरी एड0, श्री नरेन्द्र प्रसाद गुर्जर एड0 व श्री बंशीलाल सैनी ने वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया की वादीगण व प्रतिवादीगण की उक्त वर्णित आराजीयात का हिस्से एवं मौके पर काबिज अनुसार विधिवत् तकासमा कर हम पक्षकारान् की पृथक–पृथक जमाबंदी तैयार करावे तथा नक्शा शीट में तरमीम करावे। जिसमें हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व आपत्ति नही है। प्रतिवादीगण की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन है की वादीगण द्वारा वादपत्र के अन्त में चाहे गये अनुतोष के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष अधिवक्तागण ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 255, 399 वाके ग्राम काशीपुरा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसका उनके बीच विधिवत् विभाजन नही हो रखा है, किन्तु पक्षकारान् अपने हिस्से अनुसार मौके पर बंटवारा कर अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/3 हिस्सा है। जिस पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 17 अपने दर्ज हिस्से अनुसार काबिज होकर मौके पर करते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात अविभाजित है। जिसका विधिवत् विभाजन नही हो रखा है। किन्तु मौके पर वर्षो से पक्षकार अपनी भूमि बंटवारा करके काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् तकासमा फरमायी जाकर वाद के चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी में दर्ज हिस्से 1/3 का मौके पर कब्जे अनुसार उक्त आराजीयात का विधिवत् विभाजन कराया जावे एवं उसके हिस्से की आराजी का नक्शा शीट में तरमीम करवायी जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 ने अपनी बहस में वाद वादीगण स्वीकार करते हुए वादपत्र क अन्त में चाहे गये अनुतोष के आधार वाद वादीगण डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर करते हुए वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किये जाने में सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् कां अवलोकन किया। वादपत्र में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 255, 399 वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा में स्थित है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की अविभाज्य कृषि आराजीयात है। अधिवक्ता वादी ने उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान् के बीच जमाबंदी में दर्ज हक हिस्से व कब्जे अनुसार प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 ने भी वाद वादी स्वीकार करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए तकासमा किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर पक्षकारान् अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है।

अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड् बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जाकर तहसीलदार पीपलू उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिति में नक्शा ट्रेस के दो–दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर आगामी दिनांक 09.07.2025 से पूर्व

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 3684 दिनांक 01.10.2025 द्वारा न्यायालय हाजा में तकासमां रिपोर्ट/प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने तकास्मा रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदंन किया एवं मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार वांद वादीगण अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। उभयपक्ष अधिवक्ता ने तकासमा रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक तकासमा रिपोर्ट अनुसार वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किये ज़ाने का निवेदन किया है। बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत तकासमा रिपोर्ट/प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तकासमा रिपोर्ट से स्पष्ट है की तहसीलदार पीपलू द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानो की पालना करते हुए पक्षकारान् की उपस्थिती में प्रस्ताव तैयार किया गया है। तकासमा रिपोर्ट पर भी वादीगण व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर अंकित है। अतः मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा में स्थित भूमि आराजी ख0न0 255/3 रकबा 0.3119 हैक्ट. व ख0न0 399/4 रकबा 0.3372 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.6491 हैक्ट. वादीगण रामनारायण पुत्र जैसा जाति जाट हि. 1/2 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, गीता पुत्री जैसा जाति जाट हि. 1/2 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 255/2 रकबा 0.4552 हैक्ट., ख0न0 399/2 रकबा 0. 1433 हैक्ट., ख0न0 399/3 रकबा 0.0506 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.6491 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 16, 17 अन्तिमा पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, रत्नी पत्नि रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, राहूल पुत्र रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, सोना पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, ज्योति पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह; नेहा पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, प्रियंका पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, मोना पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, हरिनारायण पुत्र गोविन्दा जाति जाट हि. 1/3 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, मोरी पत्नि गोविन्दा जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 255/1 रकबा 0.5986 हैक्ट., ख0न0 399/1 रकबा 0.0506 हैक्ट. कुल किता 02

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 0.6492 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 15 गोपाल पुत्र लछमना जाति जाट हि. 1/2 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, रामकिशोर पुत्र पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, रामधन पुत्र पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, सूजा पत्नि पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, सोदरा पुत्री पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा. देह खातेदार, हंसा पुत्री पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, मदन पुत्र पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रुप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक शुमार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 04.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गणराज बडगोती आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6 व 7 जाप्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)
ब अलजास गणराज बडगोती आर0ए0एस0

राजस्व अधिकारी पीपलू जिला टोंक

रामनारायण पुत्र जैसा जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा, तहसील पीपलू, जिला टोंक (राज0)
(कुल कस 02) वादीगण

बनाम

ज्योति पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम काशीपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
(कुल कस 19) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 100/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू. मुझ गणराज बडगोती उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री भरत गुर्जर एड0 मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 श्री राजाराम चौधरी एड, श्री नरेन्द्र प्रसाद गुर्जर एड. व श्री बंशीलाल सैनी एड. मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाती है की ग्राम काशीपुरा, पटवार हल्का काशीपुरा में स्थित भूमि आराजी ख0न0 255/3 रकबा 0.3119 हैक्ट. व ख0न0 399/4 रकबा 0.3372 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.6491 हैक्ट. वादीगण रामनारायण पुत्र जैसा जाति जाट हि. 1/2 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, गीता पुत्री जैसा जाति जाट हि. 1/2 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 255/2 रकबा 0.4552 हैक्ट., ख0न0 399/2 रकबा 0.1433 हैक्ट., ख0न0 399/3 रकबा 0.0506 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.6491 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 व प्रतिवादी संख्या 16, 17 अन्तिमा पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, रत्नी पत्नि रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, राहूल पुत्र रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, सोना पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, ज्योति पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, नेहा पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, प्रियंका पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, मोना पुत्री रामलाल जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, हरिनारायण पुत्र गोविन्दा जाति जाट हि. 1/3 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह, मोरी पत्नि गोविन्दा जाति जाट हि. 1/24 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। ख0न0 255/1 रकबा 0.5986 हैक्ट. ख0न0 399/1 रकबा 0.0506 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.6492 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 15 गोपाल पुत्र लछमना जाति जाट हि. 1/2 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, रामकिशोर पुत्र पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, रामधन पुत्र पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा. देह खातेदार, सूजा पत्नि पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, सोदरा पुत्री पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, हंसा पुत्री पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार, मदन पुत्र पन्नालाल जाति जाट हि. 1/12 राहिन दी बैंक ऑफ राजस्थान राजस्थान लिमिटेड, टोंक सा.देह खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 17 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैक प्रभार यथावत रहेगा।

निजी..................................मबलिक.. बाबत................................खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. ....को अदा करे।

बसरब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.12.2025 को जारी की गई।

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक)

दस्तखत..................................
उप खण्ड अधिकारी

मोहर

ओहदा......पीपलू (टोंक).......

मुद्दई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner